



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: प.9() सम्बद्धता-बी.एड. 2022-23/24215

दिनांक 08/04/2024

प्राचार्य/सचिव

समस्त सम्बद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय।

विषय:- शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सत्र 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय सम्बद्धता के संबंध में।

संदर्भ:- विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.9 () सम्बद्धता/24165 दिनांक 28.03.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि समन्वयक, पी.टी.ई.टी.-2024, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के पत्र क्रमांक वमखुवि/PTET/2024/58-62 दिनांक 27.03.2024 द्वारा विश्वविद्यालय अधिकार क्षेत्र में अवस्थित सत्र 2024-25 हेतु सम्बद्धता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सम्पूर्ण सूचना दिनांक 10.04.2024 तक अपेक्षित की है। (प्रति संलग्न)।

विश्वविद्यालय परिनियम (Statute) के अध्याय 15 (Section 2(b) के अनुसार प्रत्येक संस्था/महाविद्यालय का प्रति वर्ष कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। निरीक्षण शुल्क भी सम्बद्धता आवेदन के साथ प्राप्त किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की सम्बद्धता जारी करने से पूर्व अति अल्प समय में समस्त महाविद्यालयों का भौतिक निरीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय के संदर्भित पत्र के अनुसार आपके महाविद्यालय की अधिकृत समस्त सूचनाएँ अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर वेबसाइट का लिंक विश्वविद्यालय की ई-मेल Aff.shekhauni@gmail.com पर मांगा गया था, जिससे आपके महाविद्यालय का ऑनलाइन (Online) निरीक्षण कर सम्बद्धता प्रक्रिया को पूर्ण कर समन्वयक, पी.टी.ई.टी., को सूचना भिजवाई जा सके। आज दिनांक तक बहुसंख्यक महाविद्यालयों के द्वारा उक्त सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं करवाई है। सूचना के अभाव में शैक्षणिक सत्र 2024-25 की सम्बद्धता प्रक्रिया को पूर्ण करना सम्भव नहीं है तथा बिना सम्बद्धता के महाविद्यालय का नाम समन्वयक, पी.टी.ई.टी., वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को भेजा जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः निर्धारित तिथि तक संदर्भित पत्र के अनुसार चाही गई सूचना विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि सम्बद्धता कार्यवाही पूर्ण कर समन्वयक, पी.टी.ई.टी. को सूचना समय पर भिजवाई जा सके। उक्त सूचनाओं के अभाव में यदि पी.टी.ई.टी. कार्यालय, कोटा को आपके महाविद्यालय की सूचना समय पर नहीं जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव

दिनांक: 08/04/2024

क्रमांक: प. 9() सम्बद्धता/24216 - 219

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समन्वयक, पी.टी.ई.टी., वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
4. कुलपति सचिवालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

F. No./NRC/NCTE/RJ-1163/2015

95487

Date: 28 APR 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. AND WHEREAS, the institution **Amman Teacher Training College, Dhola Khera, Tehsil-Udaipurwati, Distt. Jhunjhunu, Rajasthan** has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.

3. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

- (i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.
- (iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

4. Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to **Amman Teacher Training College, Dhola Khera, Tehsil-Udaipurwati, Distt. Jhunjhunu, Rajasthan** for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfillment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University /Body, the State Government etc. as applicable.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

7. The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.